न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर (राज0)

अपील / रसद / 17 / 22

नवाब खान, उचित मूल्य दुकानदार, ग्रांम पंचायत लाडलाका तहसील पहाडी जिला भरतपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी(द्वितीय) भरतपुर

.....रेस्पो0

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 2–11–2022 जिला रसद अधिकारी भरतपुर व प्रकरण 36 / 22

उपस्थितः–
1–श्री विमल सिंह, अभिभाषक अपीलान्ट,
2–प्रवर्तन अधिकारी,पेरोकार रसद,

निर्णय दिनांक 03.8.2023

अपीलान्ट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी भरतपुर के आदेश दिनांक 2–11–2022 के विरुद्व पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट नवाव खान, उचित मूल्य दुकानदार, ग्रांम पंचायत लाडलाका तहसील पहाडी जिला भरतपुर को जारी प्राधिकार पत्र संख्या 113 / 96 को निरस्त किये जाने एवं उसकी समस्त ज़मा प्रतिभूति राशि जप्त सरकार किये जाने की आज्ञा दी गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 एवं पत्रावली तहत तलब की गई। उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक ने अपने तर्कों में अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि जिला रसद अधिकारी भरतपुर द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस का जबाब अपीलान्ट द्वारा दिया गया है, तहत न्यायालय ने अपीलान्ट के जवाव पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। योग्य अभिभाषक का कहना है कि दिनांक 23.8.2022 को दुकान खोली थी, अचानक पुत्र की तबीयत खराब होने से पुत्र को दिखाने ले गया था जल्दबाजी में अपना मोबाईल नहीं ले जा सका था। अपीलान्ट द्वारा हर माह सुचारु रुप से नियमानुसार खाद्यान्न का वितरण किया जाता है। योग्य अभिभाषक का यह भी तर्क है कि पंचायत में दो डीलर कार्यरत हैं, प्रार्थी डीलर के पास जो भी उपभोक्ता आता है उसे सामग्री दी जाती है, पंचायत में कुछ उभोक्ता दूसरे डीलर के नजदीक होने से नजदीकी डीलर के पास सामग्री लेने चले जाता हैं इस में प्रार्थी डीलर का

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

क्या दोष है। सामग्री वितरण को लेकर किसी भी उपभोक्ता की शिकायत प्रार्थी के खिलाफ नहीं की गई है। प्रार्थी डीलर के वितरण व्यवस्था से उपभोक्ता सन्तुष्ट है। जांच करता प्रवर्तन निरीक्षक ने वक्त जांच आस पडोस के किसी भी दुकानदार वगै0 के बयान वगैरा नही लिये गये हैं। योग्य अभिभाषक का यह भी कहना है कि प्रार्थी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं थी, जांचकर्ता ने किसी भी स्वतन्त्र गवाह के बयान वगै भी मौके पर नहीं लिये गये हैं। तहत न्यायालय ने भी प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत कथित जांच रिपोर्ट की सत्यता के बारे में अपने स्तर पर कोई जांच नहीं की ना किसी के बयानात लिये हैं। मात्र प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट को टिप्पणी के लिये प्रवर्तन अधिकारी रसद को भेज दिया गया है, यानि तहत न्यायालय द्वारा पारित निर्णय स्वयं मात्र ई.आई. की जांच को सही मानकर पारित किया गया है। इस प्रकार अपीलाधीन किसी भी प्रकार से न्यायिक निर्णय नहीं माना जा सकता है। प्रार्थी ने कोई गबन या कालाबाजारी नहीं की है जिसके लिये इतना बड़ा दण्ड तहत न्यायालय ने प्रार्थी को दिया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहत न्यायालय का निर्णय खारिज किया जावे।

पैरोकार रसद ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि वक्त निरीक्षण डीलर के स्टॉक में 323 क्वि गेहूं था व दुकान पर 475 राशनकार्ड संबध होने के बावजूद मात्रा 200–300 उपभोक्ताओं में ही 23.8.22 तक वितरण किया गया है। उनका कहना है कि डीलर दुकान खोलता ही नहीं है इसलिए उपभोक्ता इसके पास आते नहीं है पंचायत में दूसरे डीलर के पास मजबूरी में चले जाते हैं। ऑन लाईन अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि डीलर किसी भी दिवस में मात्र कुछ ही लोगों को गेंहू देता है। डीलर वितरण व्यवस्था के प्रति लापरवाही व उदासीन है। जिला रसद अधिकारी भरतपुर द्वारा विस्तृत निर्णय पारित किया गया है। जिसमें कोई त्रुटि नहीं है, अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्षकारान के कथनों पर गौर किया। अपीलाधीन निर्णय दिनांक 2.11.2022 का अवलोकन किया गया, । पत्रावली तहत में शामिल प्रर्वतन निरीक्षक, पहाड़ी की रिपोर्ट दिनांक 24.8.2022 का अवलोकन किया गया, प्रवर्तन निरीक्षक ने टेलीफोन पर उपभोक्ताओं की शिकायत पर अपीलान्ट डीलर की दुकान का दिनांक 23.8.22 को जांच हेतु पहुंचना बताया है। दिनांक 23.8. 2022 को अपीलान्ट डीलर की दुकान बन्द मिली का उल्लेख अपनी जांच रिपोर्ट में किया है यह रिपोर्ट डी.एस.ओ.भरतपुर को प्रस्तुत की गई है, प्रवर्तन निरीक्षक रसद द्वारा कथित प्रस्तुत रिपोर्ट को जॉच रिपोर्ट नहीं कहा जासकता है, क्यों कि प्रवर्तन निरीक्षक ने शिकायत के सम्बन्ध में मौके पर कोई जांच नहीं की शिकायतकर्ता उपभोक्ताओं को बुलाकर उनके बयान वगे. भी नहीं लिये गये हैं, अगर डीलर की दुकान दिनांक 23.8.2023 को किन्ही कारणवश बन्दी थी तो उन्हें अगले कार्य दिवश में

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

जाकर जांच करनी चाहिये थी, परन्तु प्रवर्तन निरीक्षक ऐसा नही कर आनलाईन पोस मशीन के आधार पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर अपने कार्य की इतिश्री करदी गई।

तहत फाईल पर गौर किया गया, तहत न्यायालय ने प्रवर्तन निरीक्षक की कथित रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट डीलर को छः अनियमितताओं पाये जाने एवं प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 2,5,10,11 व 18 का उल्लघंन पाया जाने पर कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। डीलर द्वारा कारण बताओं नोटिस के जवाब पर प्रवर्तन अधिकारी रसद को टिप्पणी के लिये भिजवाया गया है। प्रवर्तन अधिकारी रसद द्वारा की गई टिप्पणी का अध्ययन किया गया, प्रवर्तन अधिकारी ने भी अपने स्तर पर मौके पर उपभोक्ताओं से कोई पूछताछ बयान वगे. नही लिये गये हैं मात्र जुबानी रिर्पोट बिना किसी साक्ष्य के जिला रसद अधिकारी के समक्ष पेश कर दी गई है, बिना किसी आधार एवं बयान साक्ष्य के ऐसी रिपोर्ट मात्र खानापूर्ती के सिवाय और कुछ नहीं कही जा सकती है। तहत न्यायालय ने भी प्रवर्तन निरीक्षक की कथित रिपोर्ट की सत्यता की बिना कोई जांच किये, ओर नाहीं किसी भी उपभोक्ता के बयान वगे. ही लिये हैं, और नाहीं डीलर के बयान वगे. लिये गये हैं। इस प्रकार यह निर्विवाद है कि तहत न्यायालय ने आरोपों को सिद्व करने के लिये कोई साक्ष्य वगे. नहीं लिये गये हैं और नाहीं अपने स्तर पर कोई जांच की गई है। मात्र प्रवर्तन निरीक्षक/अधिकारी भरतपुर द्वारा प्रस्तुत जॉच रिपोर्ट के आधार पर ही डीलर के खिलाफ लगाये गये आरोपों को सिद्व माना है। तहत न्यायालय ने डीलर द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत जवाब के सम्बंध में भी अपने निर्णय में कोई विवेचन नहीं किया गया है। यहॉ डीलर के खिलाफ गबन या कालाबाजारी करने के सम्बन्ध में ऐसा कोई प्रकरण दर्ज होने का कोई उल्लेख पत्रावली पर भी नहीं है।

मेरी विनम्र राय में डीलर के विरुद्व तहत न्यायालय ने ऐसा आदेश पारित किया गया जिसमें यह नही बताया कि डीलर के विरुद्व अनियमितताओं को किस साक्ष्य के आधार पर सिद्व माना गया और प्रार्थी के जबाब को किस आधार पर स्वीकार नहीं किया गया। न्यायिक दृष्टि से कोई भी कानून तब लागू होता जब कि तथ्यात्मक आरोप साक्ष्य के आधार पर सिद्व हो जावें। आदेश 1976 के किस प्रावधान में व प्राधिकार पत्र की किस शर्तों का किस रुप में उल्लंघन किया गया है स्पष्ट किया जाना चाहिये। डीलर द्वारा दिये गये जवाब के मध्यनजर पृथक–पृथक बिन्दु पर विवेचना कर साक्ष्यों के आधार पर प्रार्थी प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये विधिसम्मत निर्णय लिये जाने हेतु प्रकरण पुनः निर्णय लिये जाने जिला रसद अधिकारी भरतपुर को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित पाते हैं।

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

.....4

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 2–11–2022 निरस्त किया जाकर प्रकरण जिला रसद अधिकारी भरतपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देते हुये पुनः निर्णय पारित करें। निर्णय प्रति के साथ तहत पत्रावली वापिस जिला रसद अधिकारी भरतपुर को लाटोई जावें।

निर्णय आज दिनांक 03.8.2023 को सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर ,
भरतपुर